न्यायालय बईजलास ज्ञानमल खटीक आर.ए.एस. सहायक कलक्टर(उपखंड अधिकारी) बेगूँ
जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 61 / 2014

1. श्रीमति मुल्लाकँवर पिता प्रतापसिंह जी राजपूत निवासी गलिया बावडी पत्नि भंवरसिंह राजपूत हाल निवासी सातोला का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा (राज0) वादीया

बनाम

1. श्रीमति भुरबाई बेवा प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गलियाबावडी तह0बेगूँ
2. श्रीमति सायरकंवर पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गलियाबावडी पत्नि कल्याणसिंह राजपूत निवासी गलियाबावडी तह0 बेगूँ
3. श्रीमति गोपालकंवर पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गलियाबावडी पत्नि पूरणसिंह जाति राजपूत हाल नि0 भीमपुरीया पो0शादी वाया विजयपुर तहसील चितौडगढ़
4. श्रीमान भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार बेगूँ
5. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ जरिये राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री देवेन्द्रसिंह
अधिवक्ता वादीया
श्री प्रकाश शर्मा
श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,2 निर्णय दिनांकः– 11.1.2017

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53–88–188 आर0टी0एक्ट

वादीया की ओर से वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात मौजा गलियाबावडी प0ह0 रामपुरिया में स्थित है जिसके खाता संख्या 102 को आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर में |
|---|---|
| 122 | 0.2900 |
| 123 | 0.6800 |
| 127मी.शा.नं. | 0.9300 |
| 126,128चाह | 0.060 |
| 129मी.शा.नं. | 0.5100 |
| 130मी.शा.नं. | 0.0600 |
| 168 | 0.0900 |
| 307 / 212मी.शा.नं. | 0.5900 |
| कीता–8 | 3.2100है0 |

यह कि वादीया के पिता प्रतापसिह के जायदन्दा पुत्र संतान नहीं होकर मात्र तीन पुत्रियॉ ही है जो वादीया व प्रतिवादी सं0 2 व 3 व वादीयॉ की माता प्रतिवादी संख्या 1 है जिनके नाम खाते मेंदर्ज रिकोर्ड है । उक्त आराजीयात में वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक का हिस्सा 1/4–1/4–1/4 हक हिस्सा कानूनन बनता है और इसी अनुसार अपने अपने निहिक हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं होने से आए दिन सीमा सबंधी व मेर पाली व भूमि की किस्म को लेकर आपसी विवाद करते रहते है ,अब प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द कर देने पर आमदा है ।जिसका उन्हें कानूनन अधिकार नहीं है । वादीया ने दिनांक 12.4.2014 को प्रतिवादीगण से विभाजन कराने को कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीया को यह वाद पत्र लाने की आवश्यकता हुई है।

अतः श्रीमान से वादीया निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:–

1. कि वाद वादीया का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात में वादीयॉ का हक हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण प्रत्येक का हक हिस्सा 1/4–1/4 हक हिस्से की पृथक से घोषणा की जाकर बाद घोषणा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर उक्त भूमि का उक्त हक

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे व वादीया व प्रतिवादीगण केक हक हिस्से को पृथक पृथक खातेदारी का घोषित की जाकर खाता पृथक पृथक दर्ज रिकोर्ड किया जावें।

2. कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें न करावें न ही किसी परिवार केक सदस्य नौकर ऐजेन्ट आदि से करावें व न ही वादी के शातिपूर्ण उपयोग उपभोग में ही दखल करें न करावें । राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें न करावें।

उपरोक्त वाद पत्र वादीया का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री प्रकाश शर्मा ने प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 का ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री के0सी0मंत्री ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि स्व0 प्रतापसिंह जी एवं भूरबाई का दत्तक पुत्र महेन्द्रसिंह इन आराजीयात में आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना यह दावा प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है । दावा पत्रावली में प्रतिवादी सख्या 3 बावजूद सूचना के उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 फोर्मल पार्टी होने से उनका जवाब पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया । यह पत्रावली तनकी पत्र कायमी में विचाराधीन थी , इस पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प रामपुरिया पर रखाया गया जिसमें वादीयॉ एवं प्रतिवादी को सुना गया । राजस्व लोक अदालत कैम्प रामपुरिया में वादीया का वाद पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार कर प्राथमिक डिकी निम्न प्रकार से किया गया :–

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–53 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है मौजा गलिया बावडी प0ह0 रामपुरिया की आराजी संख्या 122,123,127मी.,128मी.,129मी.,130मी.,168,307/212 कीता–8 रकबा 3.3100हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का हिस्सा 1/4,1/4,1/4 घोषित किया जाता है । उक्त हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कब्जे के आधार पर विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है । प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँको भेजी जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब करें।

उक्त आदेश की पालना में प्राथमिक डिकी की प्रति राजस्व लोक अदालत कैम्प में भू–अभिलेख निरीक्षक को दी गई जिसकी पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक चेची द्वारा फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की गई जिसे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 4 दिनांक 2.1.2017 से इस न्यायालय को भिजवावया गया । प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादीया को सुना जाने पर उन्होने उक्त रिपोर्ट प्राथमिक डिकी अनुसार होना जाहिर किया तथा वाद अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन भी किया गया।

अतः वाद वादीया का अ0धा0 53–88–188 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है । मौजा गलिया बावडी प0ह0 रामपुरिया की आराजी का विभाजन वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जता है:–

1– श्री भुल्लाकंवर पिता प्रतापसिंह राजपूत सा0देह पत्नि भंवरसिंह राजपूत हाल निवासी सांतोला का खेडा तह0 कोटडी खातेदार के खाते :–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 122 | 0.290 |
| 123मी0मेसे | 0.340 |
| 127मी0मेसे | 0.150 |
| कीता– 3 | 0.780हैक्टर |

2– श्री सायरकंवर पिता प्रतापसिंह राजपूत सा0देह पत्नि कल्याणसिंह राजपूत सा0देह खातेदार के खाते :–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 127मी0मेसे | 0.780 |
| कीता–1 | 0.780हेक्टर |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

3– श्री गोपालकंवर पिता प्रतापसिह राजपूत सा0देह पत्नि पूरणसिंह राजपूत हाल निवासी भीमपुरिया तह0 चितौडगढ के खाते :–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 123मी0मेसे | 0.340 |
| 128मी0 | 0.060 |
| 307/213मे से | 0.380 |
| कीता– 3 | 0.780हैक्टर |

4– श्रीमति भुरबाई पत्नि स्व0 प्रतापसिह राजपूत सा0देह खातेदार के खाते :–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 129मी0 | 0.510 |
| 130मी0 | 0.060 |
| 307/213 मे से | 0.210 |
| कीता– 3 | 0.780हैक्टर |

5– श्री भुरबाई पत्नि स्व0 श्री प्रतापसिंह राजपूत सायरकंवर भुल्लाकंवर ,गोपालकंवर पिता प्रतापसिंह राजपूत सा0देह खातेदार:–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 168 | 0.090 |
| कीता–1 | 0.090हैक्टर |

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से की आराजी में दखलंदाजी न स्वयं करें न अन्य किसी से करावें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

11/1/17

( शामलाल खटीक )
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ